

FORM No. III

फर्द अहकाम  
(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट श्रीमाधोपुर (सि)

..... बनाम .....

किस्म मुकदमा ..... नं. 28/14 251A RTA-1 सन

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज
24.12.18	<p>पत्रावली वाद आदेश अन्तर्गत (अपनी पत्र वा सो लीटर अर्थात् 15 नवंबर 1955) -</p> <p>अपीलिंग प्रताप सिंह राजेश्वर सिंह रामचंद्र सिंह शीला देवी पत्नी रामचंद्र नं 15 अपील पर गौरीदेवी पत्नी सिंह राजेश्वर सिंह काट्टी वं विरुद्ध आ-वार्ड न्यारा 251A RTA-1955 के तहत अस्तुतः कर निर्दिष्ट किताबि अपीलिंग वं अपील काट्टी (सिमावाला) नवमील श्रीमाधोपुर नं 310, 311, 333 किता उरुका 2-98 हैं श्रीजालदेवी अर्थात् आगत पत्र है) नं 310 के वातिगत आवाइड अपीलिंग श्री 312 रकबा 0.28 है. गौरी (सिमावाला) श्री 311 की रासिंग सीमा की लरफ 15 फीट रासिंग श्री 323 की अन्तरी सीमा की लरफ है वद पत्र 311 नं जान के लीटर लघुहस्ताक्षर श्रीमाधोपुर यह रासिंग वादि अन्तरे दिया जाता है ही बदल नं निर्यातुम (- अतिक्षण के मुगलत श्री लीटर है अन्तरे सीमा रिकार्ड के रासिंग सर्व विवर मन्डे।</p>

PTA  
उपखण्ड अधिकारी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मयें लघु हस्ताक्षर जज 28/14 25/11 जेम्स मिहें व गेन्दे	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुये
	<p>अध्यापक 16 सुरेन्द्र सिंह 17 हलामकेश -</p> <p>18 जेम्स गेन्दे 19 जेम्स गेन्दे गेन्दे गेन्दे गेन्दे</p> <p>जीम्स गेन्दे 20 जेम्स गेन्दे गेन्दे गेन्दे गेन्दे</p> <p>जीम्स गेन्दे गेन्दे गेन्दे गेन्दे गेन्दे</p> <p>अध्यापक 2, 4, 15 व 16 व 19 में विद्वत्पुत्र</p> <p>एकतरफा कार्यवाही की जा चुकी है।</p> <p>अध्यापक 1 गेन्दे गेन्दे गेन्दे रिहपाल सिंह</p> <p>व 3 नारायणसिंह पुत्र रिहपाल सिंह</p> <p>की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया व</p> <p>अपना विचारित शक व्यक्त पूर्व में वॉ. 233 की</p> <p>उत्तरी सीमा में शा. शा. वा. प्रार्थना पत्र 7/12 दिनांक</p> <p>11.4.14 को जारी है। अतः 24 -</p> <p>प्रार्थना पत्र चलन भोग्य नहीं है। जो जारी</p> <p>किया जावे।</p> <p>न. श्रीमती गेन्दे 26.11.15 को प्रस्तुत रिपोर्ट पर धारणी वी. वी. वी. में</p> <p>श. क. नि. गेन्दे गेन्दे गेन्दे गेन्दे गेन्दे गेन्दे गेन्दे गेन्दे</p> <p>श्री गेन्दे गेन्दे गेन्दे गेन्दे गेन्दे गेन्दे गेन्दे गेन्दे</p> <p>ल. व. 4 सी. 22 चाँड शा. शा. शा. शा. शा. शा. शा. शा. शा.</p> <p>प्रदुप. मार्ग है अतः वी. वी. वी. वी. वी. वी. वी. वी. वी. वी.</p> <p>शा. शा. शा. शा. शा. शा. शा. शा. शा. शा. शा. शा. शा. शा. शा.</p> <p>व. व.</p> <p>एवं रिपोर्ट के अन्तर्गत अनुमा.</p> <p>व. व. 311 शा. शा. शा. शा. शा. शा. शा. शा. शा. शा. शा. शा. शा. शा.</p> <p>में माने हेतु ल. व.</p> <p>312 शा. शा. शा. शा. शा. शा. शा. शा. शा. शा. शा. शा. शा. शा.</p> <p>39 सी. 22 चाँड शा. शा. शा. शा. शा. शा. शा. शा. शा. शा. शा. शा. शा. शा.</p> <p>ॐ.</p> <p>उपस्थित अधिकारी</p> <p>साधुपुर (सीकर)</p>	

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस  
हुक्म की तालिम में  
जारी हवे

तारीख  
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मयं लघु हस्ताक्षर जज.  
28/14 उत्तरांचल जज

होता है। पूर्व प्रार्थनापत्र 31/13 निरस्त होने  
के बाद पर कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं है।  
अधिकतर प्रार्थी ने बदले के दौरान दुगुनी  
शुल्क अग्रणीकरण को देने पर सहमति दी है।  
मौजूदा आदेशों के अन्तर्गत के रिजर्वेशन के  
वारे में वरदान-कार्य होना बताया।

उपरोक्त विवरण अनुसार प्रार्थी के प्रार्थना  
पत्र स्वीकार किया जाता है एवं एन. 312 के  
0.28 हेक्टेयर कोटडी (सीमा) में अग्रणीकरण  
की रिपोर्ट 27.2.13 अनुसार  $39 \times 4 = 156$  कर्मीर  
शुल्क को <sup>जो. सु. नि.</sup> रॉल के रूप में दर्ज किया जाने के  
आदेश दिए जाते हैं एवं बदले में प्रार्थना  
की एन. 311 कोटडी (सीमा) में 156 कर्मीर  
की दुगुनी जमीन अर्थात् 312 कर्मीर शुल्क  
अग्रणीकरण की ज़ावेदारी (बदले में) में दर्ज  
रिपोर्ट मिल जाने के आदेश दिए जाते हैं।

मौजूदा अनुसार अग्रणीकरण आपसी सहमति बसने पर  
के माध्यम से न्यायालय में प्रस्तुत करते हैं  
के रिजर्वेशन (रिजर्वेशन के वारे में नाम भी  
नाम भी वृत्त में आदेश जारी कर मात्र  
उक्त 312 कर्मीर शुल्क बदले में दर्ज  
रिपोर्ट मिलने तक लौकिक कारनी जेचीरा  
पक्षराल के बीच में है।

पाल्हाय बसने पर (सीमा) को भी  
जावे।

निर्णय आदेश दिनांक 24.12.18 को जारी  
1. पीका जवा - नरे इजलास (उत्तरांचल)

जज  
(सुलभा) -  
उपजज (अधिकारी)  
पीका जवा - नरे इजलास (उत्तरांचल)